संख्या-4/2015 वे0आ0-2-99/ दस-2015-8(मु0स0स0)/ 2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त् (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 2015**

विषय- पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर विचारोपरान्त मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया। उक्त प्रकरण पर दिनांक 26 नवम्बर , 2014 को सम्पन्न मुख्य सचिव समिति की बैठक में विचार किया गया।

2- मुख्य सचिव समिति की उक्त बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2014 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अजय अग्रवाल)
सचिव वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव समिति की सम्पन्न उपर्युक्त् बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :--

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग - सदस्य ।

(2) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य ।

(3) श्री चचंल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग- सदस्य ।

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग- सदस्य- सचिव ।

2- निर्धारित कार्य बिन्दु के अनुसार पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर ग्रेड वेतन रु0 2400/- अनुमन्य कराये जाने के विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया ।

3- समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया :--

(1) पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन रु0 2000/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 2400/- अनुमन्य कराये जाने की मॉग सम्बन्धी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उ0प्र0 के प्रत्यावेदन दिनांक 26 जून, 2014 के प्रकरण कों मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 29 जून, 2014 द्वारा मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त क्रम में प्रकरण मुख्य सचिव समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

(2) संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 18 जनवरी, 2014 में मुख्य रुप से निम्न तथ्य इंगित किये गये है :--

(i) वेतन समिति (2008) द्वारा यह संस्तुति की गयी थी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की वर्तमान में निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट के स्थान पर भविष्य हेतु स्नातक के साथ कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुये रु0 3050-4590 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1, ग्रेड वेतन रु0 1900/- के स्थान पर वेतन बैण्ड- 1, ग्रेड वेतन रु0 2400/- तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाय। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाये।

(ii) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 1900/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 2000 स्वीकृत किया गया है।

(3) समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया है :--

(i) ग्राम पंचायत अधिकारी (8135 पद) के पदों पर भर्ती हेतु अर्हता व भर्ती की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रक्रिया निम्नानुसार है :--

भर्ती की प्रक्रिया- सीधी भर्ती द्वारा।

भर्ती हेतु अर्हता- इण्टरमीडिएट।

शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा उक्त पद की न्यूनतम अर्हता में कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र की अर्हता का समावेश कर दिया गया है ।

(ii) वेतन समिति (2008) द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में मुख्य रुप से यह संवीक्षा की गयी थी कि ग्राम पंचायत अधिकारी , ग्राम पंचायतों के सचिव के रुप में कार्य करते हुये पंचायतों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विकास कार्यो के सम्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया जाता है। इनके द्वारा परिवार रजिस्टर, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूचना, मजदूरों के जाब कार्ड आदि से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने का कार्य किया जाता है।

(iii) वेतन समिति (2008) द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में यह संस्तुति भी की गयी थी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की वर्तमान में निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट के स्थान पर भविष्य हेतु स्नातक के साथ कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुये रु0 3050-4590 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1, ग्रेड वेत रु0 1900/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रु0 2400/- तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाय। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाय।

वेतन समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक अर्हता में कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ' सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र की अर्हता जोड़ते हुये प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन रु0 1900 के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रम में विभागीय शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

(iv) वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद के समान ग्रेड वेतन में ग्राम स्तर पर ही ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी,(8917 पद) समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकार (समाज कल्याण) के लगभग 800 पद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के अन्तर्गत लेखपाल,(27000 पद), अमीन (9470 पद), सिंचाई विभाग के अतिरिक्त इण्टरमीडिएट की अर्हता के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में टंकण ज्ञान तथा कम्प्यूटर संचालन में डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र की अर्हता के साथ लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद कनिष्ठ सहायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

,(40000 पद), पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 2000 में उपलब्ध है। किसी एक पद के ग्रेड वेतन में संशोधन किये जाने से उक्त पदों के पदधारकों द्वारा भी उच्च ग्रेड वेतन की मॉग की जायेगी।

(v) ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा समान अर्हता वाले पदों पर अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के दृष्टिगत इन पदों के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन का औचित्य नहीं बनता है ।

<u>समिति की संस्तुतियॉं</u>

ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता, एवं इन पदों पर अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000 को यथावत् बनाये रखा जाय।

(राहुल भटनागर)	(राजीव कुमार)	(चंचल कुमार तिवारी)	(अजय अग्रवाल)
सदस्य ।	सदस्य ।	सदस्य ।	सदस्य-सचिव ।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांक: 26 नवम्बर, 2014 ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।